न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/8309/2006/सिरोही

1— मूलसिंह पुत्र अनोपसिंह, जाति राजपूत, निवासी बारेवड़ा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

—अपीलांट

बनाम

1— हुकम कंवर बेवा उम्मेदसिंह, जाति राजपूत निवासी बारेवड़ा हाल निवासी खिन्दारा गांव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

2— मंगलसिंह पुत्र किरतसिंह उर्फ करतींग, जाति राजपूत निवासी बारेवड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः— 17.07.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील संख्या 5/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, सिरोही के समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम बारेवड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही में स्थित आराजी खसरा संख्या 50, 51, 49 कुल किता 3 कुल रकबा 49 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है । उपरोक्त भूमि में जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 खातेदारी हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज है, जो गलत है । विवादग्रस्त भूमि में अनोपसिंह उर्फ नोपसिंह, किरतसिंह उर्फ करतीगंजी व अनारसिंह उर्फ

अनाडसिंह पिसरान मानसिंह निवासी बारेवड़ा तहसील शिवगंज प्रत्येक का 1/3 हक व हिस्सा था । अनारसिंह को सांसारिक जीवन से मोह नहीं था जिससे उसने अपने जीवनकाल में शादी नहीं की तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व अरठ में अपना 1/3 हिस्सा की खातेदारी हक अपने दोनों भाईयों को समान रूप से संवत् 2016 को देकर कब्जा प्रदान कर दिया । इसी अनुसार दोनों भाई किरतसिंह व अनोपसिंह ने आधा–आधा हिस्सा बांटकर सीमा कायम कर ली किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 2 ने बिना किसी आधार के अनारसिंह का पुत्र बताकर अपने नाम से दिनांक 16.08.1988 को पटवारी हल्का मोरली से नामांतकरण भरवा लिया जो गलत एवं अवैध है । वास्तव में प्रतिवादी संख्या 2 का विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा ही है जिससे वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वादी सक्षम न्यायालय से विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा अपने नाम करावें । वादी स्व0 अनोपसिंह का गोद पुत्र होने के कारण एवं अनाडसिंह की कृषि भूमि दोनों भाईयों द्वारा समान रूप से प्रदान करने के पश्चात् आज तक लापता है । वादी विवादित आराजी में आधे हिस्से की खातेदारी भूमि का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार बन चुका है । अतः वाद डिक्री किया जावे । विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने काउंटर क्लेम पेश कर कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रत्येक खातेदारान के 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज है लेकिन हकीकत में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादी का 1/4 हिस्सा है इसी अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त है । अतः काउन्टर क्लेम में दर्शाये अनुसार काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2005 के द्वारा वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम विधिसम्मत् एवं पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2006 द्वारा खारिज कर दिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विचारण न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम नहीं की गई है। आदेश 14 नियम 1 सीपीसी के तहत उनको प्लीडिंग्स को आधार मानते हुए आवश्यक तनकीयात कायम करनी चाहिए थी, तनकीयात कायम नहीं किए जाने के अभाव में वादी के वाद का सही एडज्यूडिकेशन नहीं हो सका। वादी अपने वाद में प्रारंभ से ही अनोपसिंह का गोद पुत्र बनकर आया है एवं अनोपसिंह के 1/2 हिस्से का दावा रखता है किन्तु इस आशय की तनकी नहीं बनाए जाने के अभाव में अपीलांट द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के अभाव में भी वाद डिक्री नहीं किए जाने में त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल प्रतिवादीगण की बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता वादी ने निश्चित दिनांक को ठोस कारणों के आधार पर बहस करने में अपनी असमर्थता दिखाई थी, किन्तु विचारण न्यायालय ने केवल मात्र एकपक्षीय बहस सुनकर उसी पर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपीलीय न्यायालय को इस तर्क पर अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय को पुनः निर्णय हेतु वाद लौटा देना चाहिए था, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने ऐसा न करके विधिक त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायायलय ने कुल 6 तनकीयात में केवल 5 तनकीयों का निर्णय अति संक्षिप्त रूप से दिया है। तनकी संख्या 1, 2 व 3 तनकीयों पर अधी0न्याया0 का निर्णय आदेश 20 नियम 4 (2) के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। आवश्यक तनकियां कायम नहीं किए जाने के अभाव में तनकी संख्या 1 का निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा यह मानना कि नामांतकरण संख्या 41 व 90 नियमानुसार निर्णित किए गए है जिनकी कोई अपील नहीं की गई। घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत करने व उसको डिक्री किए जाने में नामांतकरण संख्या 41 व 90 आड़े नहीं आता । साथ ही तनकी संख्या 4 पर उन्होंने अपना कोई निर्णय नहीं दिया तथा तनकी संख्या 1 का निर्णय देते समय ही एक प्रकार से उन्होंने तनकी संख्या 4 निर्णित कर दी जो विधिविरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। तनकी संख्या 2 व 3

एक सी है। प्रतिवादी संख्या 2 अपीलांट के हकूको को नकारता है। ऐसी स्थिति में भले ही प्रतिवादी अपीलांट के साथ सहकृषक क्यों ना हो, अपीलांट, रेस्पो0 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हासिल करने का अधिकारी है तथा अपीलांट अपने 1/2 हिस्से तक काश्त करने में प्रतिवादीगण हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते है। विचारण न्यायालय ने जो तनकीयात कायम की थी, उन प्रत्येक तनकी को उन्होंने निर्णित नहीं किया जबकि आदेश 20 नियम 5 के तहत विचारण न्यायालय के लिए आवश्यक था कि प्रत्येक तनकी को निर्णित करते। अपीलीय न्यायालय ने भी इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2006 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.2005 को निरस्त किया जावें तथा वाद वादी/अपीलांट विरूद्ध रेस्पो0 वाद के प्रार्थना पत्र अनुसार डिक्री फरमाया जावें।

5— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । नामांतकरण संख्या 41 व 90 भरे जाने के पश्चात् वादी 31 वर्षो तक उक्त नामांतकरणों को चुनौती नहीं दी गई है । अगर इंतकाल गलत होते तो उसी समय चुनौती दी जाती जो नहीं दी गई है । अब 31 वर्ष उपरांत उपरोक्त इंतकाल को गलत बताकर वाद पेश करना उचित नहीं है । इसी कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वादपत्र, जवाबदावा एवं प्रति0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के आधार पर वाद में कुल 6 तनकीयात कायम की है । तनकी संख्या 1 यह कायम की गई थी कि—''आया वादी खसरा नंबर 50, 51 व 49 को मौजा बारेवड़ा में स्थित कृषि भूमि के आधे हिस्से की खातेदार अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामांतकरण संखय 41 दिनांक 28.06.1975 के अनुसार विवादित भूमि किरतसिंह, अनोपसिंह व अनाड़सिंह पि0 मानसिंह राजपूत के नाम दर्ज थी । किरतसिंह, अनोपसिंह दोनों की मृत्यु हो जाने व किरतसिंह के लड़का उम्मेदसिंह के भी मर जाने की रिपोर्ट अंकित करते हुए नामांतकरण पटवारी हल्का द्वारा भरा गया है जिसे सरपंच ग्राम पंचायत मोरली द्वारा दिनांक 28.06.1975 को हुकम कंवर बेवा उमेदसिंह, मूलसिंह पुत्र अनोपसिंह, अनाड़सिंह पुत्र मानसिंह राजपूत के नाम स्वीकृत किया गया है । नामांतकरण संख्या 90 के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अनाड़सिंह के फौत होने पर फौतगी नामांतकरण संख्या 90 दिनांक 20.08.1981 को हुकम कंवर बेवा उमेदसिंह, मूलसिंह पुत्र अनोपसिंह व मंगलसिंह पुत्र अनाड़सिंह के नाम स्वीकृत किया गया है। उक्त नामांतकरणों से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात में प्रत्येक खातेदार का 1/3–1/3 हक व हिस्सा है । उक्त नामांतकरण स्वीकृत किये जाने के उपरांत वादी द्वारा वर्ष 2000 में उपरोक्त नामांतकरणों को चुनौती देते हए विवादित आराजियात में स्वंय का 1/2 हिस्सा होने का कथन किया है कि खातेदार अनाड़सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपना 1/3 हिस्सा अपने दोनों भाईयों को समान रूप से संवत् 2016 में प्रदान कर दिया था, किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । यदि ऐसा होता तो नामांतकरण संख्या 41 व 90 स्वीकृत करते समय वादी द्वारा ऐतराज क्यों नहीं किया गया । अब इतने वर्षो बाद हस्तगत वाद के माध्यम से नामांतकरण संख्या 41 व 90 को चुनौती देना उचित प्रतीत नहीं होता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर 1/2 हिस्से की खातेदारी का अनुतोष चाहा है । विधिनुसार भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते है । विचारण न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों तथा राजस्व रिकार्ड के मध्यनजर प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए वादी का वाद तथा प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम खारिज किया है जिसमें हमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । विचारण न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते हैं।

8— उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है ।

9— परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2006 एवं सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2005 यथावत् रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष